[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 5/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 25जनवरी, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा;

"539	88 या अन्य कोई अध्याय	(क) उपग्रह और पेलोडस; (ख) जमीनी उपकरण जिन्हें उपर्युक्त (क) के परीक्षण के लिए लाया गया हो ।	शून्य	शून्य	78";

(ii) क्रम संख्या 539 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा: -

"539 क	88 या अन्य कोई अध्याय	वैज्ञानिक और तकनीकी औजार, उपकरण, उपस्कर, सहायक सामग्री, कलपुर्जे, घटक, स्पेयर्स, टूल्स, मोक अप्स और मॉड्यूल्स, कच्चा माल और उपभोग की सामग्री जो कि प्रक्षेपण यानों और उपग्रह तथा पेलोड्स के लिए आवश्यक हों	5	5	78";

[फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ) दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 92/2017 –सीमा शुल्क, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 जिसे सा.का.नि. 1515 (अ) दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।